

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न०:- 483 / 2025

1. प्रियका पत्नी चन्दन जाति बिश्नोई निवासी 6 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़  
वादीया

वनाम्


1. कमला पत्नी रामरतन जाति बिश्नोई निवासी 6 केएसपी तहसील टिब्बी जिला  
2. चन्दन पुत्र रामरतन हनुमानगढ़ । प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 31/12/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैल सिंघ अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक 6 केएसपी के खाता सं० 88/61 में कुल 3.772 है० आराजी में 1/2 हिस्सा की वादीया व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीया सं० 1 खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व चक नं० 6 केएसपी के खाता सं० 88/61 में से रामरतन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
उपखण्ड अधिकारी (R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।